संख्या /III-2/06-09(प्रा.आ.)/2005टी.सी.।

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **देहरादून,दिनांक 13 जनवरी , 2006**

विषयः- जनपद देहरादून में अवस्थापकीय सुविधाओं के अर्न्तगत निर्माणाधीन विधान सभा बाईपास के किमी0 2 में 60.00 मी0 स्पान के प्री-स्ट्रेस्ड आर.सी.सी. सेतु के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग,पौडी के पत्र सं.- मैमो-7(दे.दून (ग.क्षे.) दिनांक 23.11.05के द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त कार्य के पुनरीक्षित आगणन के सन्दर्भ में एव शासनादेश सं0 463/III-2/2005- 09(प्रा.आ.)/2005 दिनांक 30 मार्च, 2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा जनपद देहरादून में अवस्थापकीय सुविधाओं के अर्न्तगत निर्माणाधीन विधान सभा बाईपास के किमी0 2 में 60.00 मी0 स्पान के प्री-स्ट्रेस्ड आर.सी.सी. सेतु की स्वीकृति प्रदान की गई थी, को बढ़ी दरों एवं अतिरिक्त कार्य के आधार पर उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये रू0 152.00 लाख पर टी.ए.सी. वित्त परीक्षणोपरान्त आंकलित रू0 147.70 लाख (रू0 एक करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ देते हुए कि इस पर व्यय आवश्यकतानुसार चालू कार्य के लिए निवर्तन पर रखी गई धनराशि से किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं,अथवा बाजार भाव से ली गई हों,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है,स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए ।

पी०

9. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा ।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू.ओ. 35/**XXVII**(2)/2005 दिनांक, 12 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 5 2 (1)/ III–2/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग गाजरा, देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल मंडल, पौडी।
3– जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल,देहरादून।
7– अधीक्षण अभियन्ता, 24 परगना लो0नि0वि0, देहरादून।
8– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।